

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक २१६...../ दो-१-१/ 2000

रीवा, दिनांक १७/०५/ 2023

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1956 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 जो कि "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित की गई है, के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक ५२/ दो-१-१/ 2000 दिनांक १४.०१.२०२३ को निरस्त करते हुए मैं सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला रीवा में स्थापित व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञेय दीवानी मामलों के कार्य विभाजन एवं सत्र खण्ड रीवा के अंतर्गत आपराधिक मामलों के कार्य विभाजन के संबंध में निम्न लिखित आदेश प्रसारित करता हूँ, जो आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा :—

क्र.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा	<p>1—म.प्र. एकमोडेशन कन्ट्रोल एकट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियन्त्रण अधिकारी रीवा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>2—केन्द्रीय अधिनियमों और म.प्र. राज्य के अधिनियमों (मध्यप्रदेश नगर पालिक नियम 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपीलें, पुनरीक्षण और संदर्भ जो जिले की मूल अधिकारिता वाले प्रमुख न्यायालय में या जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य हों एवं जिन के संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपर्युक्त न किया गया हो।</p> <p>3—धारा-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र</p> <p>4—ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय लिखी व आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित व विविध अपीलें।</p> <p>5—लोक परिसर (अधिकृत आधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा 9 द्वारा अधिकृत)</p> <p>6—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण।</p> <p>7—प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>8—प्रथम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के दिनांक 06.08.2014 के पूर्व के निष्पादन व समस्त विविध कार्यवाहियां।</p> <p>9—सिविल जिला रीवा में (तहसील त्योथर, मउगंज, सिरमौर एवं हनुमना को छोड़कर) उद्भूत मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु के तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित क्षतिपूर्ति दावा मोटर दुर्घटना के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>10. जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p>



	सत्र खण्ड रीवा	<p>1—सत्र प्रकरण ।</p> <p>2—दाणिडक अपील ।</p> <p>3—दाणिडक पुनरीक्षण ।</p> <p>4—अत्यावश्यक बस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व अपील ।</p> <p>5—विविध दाणिडक प्रकरण ।</p> <p>6—धारा 408 द.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पत्र ।</p> <p>7—धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।</p> <p>8—मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।</p> <p>9—ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी दाणिडक अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रकरण ।</p> <p>10—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी निर्णय के विरुद्ध अपीलें ।</p> <p>11— विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 1916 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किये जायेंगे ।</p> <p>12. जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समरत प्रकरण ।</p>	
2	श्री सी०एम०उपाध्याय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा एवं प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण ।
		सत्र खण्ड रीवा	<p>1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाणिडक अपील, दाणिडक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र ।</p> <p>2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन पेश होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित समस्त विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र ।</p>
3	डॉ० श्री मुकेश मलिक, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पी०सी०एवट) रीवा (म०प्र०)	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड रीवा	<p>1— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र ।</p> <p>2— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय आपराधियों के संबंधों में सभी प्रकरण तथा इन्हीं प्रकरणों से संबंधित समस्त जमानत आवेदन पत्र ।</p>
4	श्री विकम सिंह, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश म०प्र० डकैती एवं व्यपहरण प्रमाणित क्षेत्र अधिनियम रीवा / अति. विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.) रीवा	सिविल जिला रीवा	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण ।</p> <p>2. सिविल लाइन एवं रायपुर कर्चुलियान क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।</p> <p>3. द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के निर्णय डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें ।</p>
		सत्र खण्ड रीवा	<p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाणिडक अपील, दाणिडक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p>

2— जिला रीवा के डभौरा, पनवार, अतरैला, सिरमोर, जवा, जनेह तथा सेमरिया थाना क्षेत्र से उद्भूत मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।

3. तहसील मऊगंज के पुलिस थाना मऊगंज, गढ़, नईगढ़ी, लौर एवं तहसील सिरमोर के पुलिस थाना सिरमोर, गढ़, बैकुण्ठपुर, सेमरिया एवं तहसील त्योंथर के पुलिस थाना सोडागी, चाकघाट, जनेह, अतरैला, डभौरा, जवा, गढ़, पनवार एवं तहसील हनुमना के पुलिस थाना हनुमना, शाहपुर के थाना अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक्स सबस्टेन्स(एन.डी.पी.एस.) एक्ट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।

5	श्री रमेश रंजन चौबे, तृतीय जिला एवं सत्र एवं न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा (तहसील त्योंथर, मऊगंज, सिरमोर व हनुमना को छोड़कर)	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।</p> <p>2— रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम/चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश रीवा, द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>4— थाना मनगंवा क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>5— भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के आदेशों के विरुद्ध अपीले।</p> <p>6— मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र।</p>
6	सुश्री पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सत्र खण्ड रीवा	<p>1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p> <p>2—सिविल जिला रीवा क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा— 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p>
		सिविल जिला रीवा	<p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।</p> <p>2. थाना अमहिया क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>



		3- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश 'कनिष्ठ खण्ड/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश के रिक्त न्यायालय के निर्णय डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।
	सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्गक अपीले, दापिङ्गक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
7	श्री विवेकानन्द त्रिवेदी, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा	<p>सिविल जिला रीवा</p> <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।</p> <p>2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय रीवा, मरुगंज सिरमौर एवं त्योथर न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>3. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम तथा पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय रीवा, मरुगंज सिरमौर एवं त्योथर न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>4—थाना सगरा एवं बिछिया क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी कारित चोट/अपंगता से संबंधित दावे व उन प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>
	सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्गक अपीलें, दापिङ्गक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
8	श्री आशीष ताम्रकार षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा (म0प्र०)	<p>सिविल जिला रीवा की तहसील त्योथर, हनुमना, मरुगंज को छोड़कर</p> <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।</p> <p>2. थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>3— प्रथम/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।</p>
	सत्र खण्ड रीवा	<p>1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्गक अपीले, दापिङ्गक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p> <p>2. सिविल जिला रीवा क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा— 153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p>

9	श्री आनन्द गौतम, सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण ।</p> <p>2. संभागीय स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निबटारा जो प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर का हो ।</p> <p>3. मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</p>
10	श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योथर, मउगंज एवं सिरमौर को छोड़कर	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण ।</p> <p>2— भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले संदर्भ व प्रकरण ।</p> <p>4— थाना चोरहटा एवं गुढ़ क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।</p> <p>5— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रिक्त न्यायालय के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें ।</p>
11	श्री देवेन्द्र सिंह पाल नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	<p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिडक अपीले, दापिडक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p> <p>2— धारा 125, 127 द0प्र0सं0 के अंतर्गत सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दापिडक पुनरीक्षण (अपर सत्र न्यायाधीश मउगंज सिरमौर एवं त्योथर के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर)</p> <p>3— “जघन्य/सनसनी खेज/चिन्हित अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले के प्रकरण (सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज/त्योथर/सिरमौर एवं विशेष न्यायालय की अधिकारिता/सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर)’</p>
		सत्र खण्ड रीवा	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण ।</p> <p>2— पंचम/षष्ठम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें ।</p> <p>3. थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।</p> <p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिडक अपीले, दापिडक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p> <p>2— निष्केपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण</p>



12. श्रीमती संगीता मदान, 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा सत्र खण्ड रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2—जिला मुख्यालय रीवा के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रैप, गैंगरैप, मर्डर विश्व रैप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)
13. श्री दिलीप सिंह, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा (तहसील मउरंज/त्योथर/ सिरमौर को छोड़कर)	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। 2— थाना समान एवं गोविन्दगढ़ क्षेत्र में घटित (प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 4— चतुर्थ/नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवों के न्यायालय के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। 5— सिविल जिला रीवा में स्थापित लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण होने या न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त अतिरिक्त/जिला न्यायाधीश के न्यायालयों से संबंधित सभी प्रकार के सिविल प्रकरण तथा उनसे संबंधित आवेदन व उक्त न्यायालयों के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये हों।
14. श्रीमती कंचन गुप्ता 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा	सत्र खण्ड रीवा	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले (सिविल जिला रीवा की तहसील मउरंज/त्योथर/सिरमौर को छोड़कर) के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। 3— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण जिला रीवा के क्षेत्राधिकार के समस्त थाना के अभियोग /परिवाद पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र व अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियां, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अपराध भी शामिल हों। 4—किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीले व अन्य।

15	श्री केशव सिंह 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) रीवा	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।
		सत्र खण्ड रीवा	<p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्गक अपीले, दापिङ्गक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ व आवेदन पत्र।</p> <p>2— समस्त अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के रिक्त न्यायालय का कार्य।</p> <p>3— जिला रीवा के पुलिस थाना सिविल लाईन, सिटी कोटवाली, चोरहटा, अमृहिया, यातायात, समान, गोविन्दगढ़, मनगंवा, बिठिया, गुढ़, महिला थाना, रायपुर कर्चलियान, सागरा, विश्वविद्यालय, जी0आर0पी0 थाना के अंतर्गत नारकोटिक्स इंग्स एण्ड साइकोटोपिक्स सब्सटेन्स (एन.डी.पी.एस.) एकट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ एवं आवेदन पत्र।</p> <p>4— धारा 22 (1) एन.आई.ए. एकट रीवा जिले से संबंधित समस्त प्रकरण।</p>

मउगंज

16	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज (रिक्त न्यायालय)				
17.	श्री आदेश कुमार जैन प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	<p>सिविल जिला रीवा के तहसील नईगढ़ी (मउगंज के क्षेत्र को छोड़कर) का क्षेत्र</p>	<p>1. समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालयों के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>3— समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड हनुमना के रिक्त न्यायालयों के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>4— थाना शाहपुर, लौर एवं नईगढ़ी क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>5— तहसील नईगढ़ी क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रूपये 01 करोड़ से अधिक हो एवं उपर्युक्त दीवानी प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध कार्यवाहियों के प्रकरण।</p> <p>6— हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>7— तहसील नईगढ़ी क्षेत्र के भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।</p>	<p>सत्र खण्ड</p>	<p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्गक अपीले, दापिङ्गक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियाँ व आवेदन पत्र।</p> <p>2—थाना लौर/नईगढ़ी/शाहपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं, वे उपार्पण के पश्चात् प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।</p>

		<p>3— थाना लौर/नईगढ़ी/शाहपुर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की। जावेगी।</p> <p>4— थाना हनुमना अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं, वे उपार्पण के पश्चात प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।</p> <p>5— मऊगंज के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाखिलक अपीलें व निगरानियां।</p> <p>6— थाना हनुमना क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी।</p> <p>7— मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा—52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>8— सत्र खण्ड रीवा के तहसील मुख्यालय मऊगंज में स्थापित लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण होने या न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त अतिरिक्त/जिला न्यायाधीश के न्यायालयों से संबंधित सभी प्रकार के दाखिलक प्रकरण तथा उनसे संबंधित आवेदन व उक्त न्यायालयों के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये हों</p>
18	श्री अनिल कुमार, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	<p>सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना का क्षेत्र (तहसील नईगढ़ी को छोड़कर)</p> <p>1— समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2— तहसील मऊगंज/हनुमना क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्याकांन रूपये 01 करोड़ से अधिक हो एवं उपर्युक्त दीवानी प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध कार्यवाहियों के प्रकरण।</p> <p>3— प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के रिक्त न्यायालयों के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>4— भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।</p> <p>5— लोक परिसर (अनाधिकृत अधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।</p> <p>6— थाना मऊगंज/हनुमना क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>7— प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>8— मऊगंज/हनुमना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रूपये 5 सौ से अधिक और रूपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।</p> <p>9— हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। (तहसील नईगढ़ी को छोड़कर)</p> <p>10— भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट प्रकरण।</p>

		<p>11— पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>12. सिविल जिला रीवा के तहसील मुख्यालय मउगंज में स्थापित लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण होने या न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त अतिरिक्त/जिला न्यायाधीश के न्यायालयों से संबंधित सभी प्रकार के सिविल प्रकरण तथा उनसे संबंधित आवेदन व उक्त न्यायालयों के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये हों।</p> <p>13. तहसील मउगंज की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले।</p>
सत्र खण्ड मउगंज		<p>1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डक अपीले, दाण्डक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।</p> <p>2—थाना मउगंज अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मउगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं, वे उपार्पण के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय में सुनवाई व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगी।</p> <p>3—मउगंज क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द०प्र०स० के जमानत आवेदन पत्र जब तक कोई अन्य आदेश न हो द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय में सुनवाई व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगे।</p> <p>4—मउगंज के ग्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डक अपीलें व निगरानिया।</p> <p>5—सिविल जिला रीवा के मउगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा— 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p> <p>6—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मउगंज क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड की कार्यवाही।</p> <p>7—तहसील मुख्यालय मउगंज के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)</p>

त्योंथर

19	श्री योगराज उपाध्याय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर	<p>सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर</p> <p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p> <p>2—रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>4—समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड त्योंथर एवं समस्त रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।</p>
----	--	--

5—थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर, पनवार, डमौरा, सोहागी एवं चाकघाट थाना क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में, अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि वाहने संबंधी दावे।

6—प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

7—तहसील त्योंथर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/-से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।

8—पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संख्याकर्ता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

9—भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।

10—मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

11—हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

12—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण।

13. तहसील त्योंथर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उदभूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले।

सत्र खण्ड
त्योंथर—जिला रीवा

1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दापिङ्क अपीलें, दापिङ्क पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।

2—तहसील त्योंथर क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपार्पित किये जाते हैं वे उपार्पण के पश्चात् अपर सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय में सुनवायी व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगे।

3—त्योंथर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के जमानत आवेदन पत्र जब तक कोई अन्य आदेश न हो। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय में सुनवायी व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगे।

4—त्योंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दापिङ्क अपीलें व निगरानिया।

5—मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा—52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।

6—सिविल जिला रीवा के त्योंथर क्षेत्र के (उत्तर संभाग) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा— 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।

7—लैंगिक अपराधों से बालकों का संख्याण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील त्योंथर क्षेत्र के समस्त थाना के अधियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही।

8. तहसील मुख्यालय त्योंथर के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)


सिरमौर

20 श्री संतोष चौहान, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर	<p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p> <p>2—रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण ।</p> <p>3—थाना सिरमौर क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक/ वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे ।</p> <p>4—प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले प्रकरण ।</p> <p>5—तहसील सिरमौर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/- से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) ।</p> <p>6—हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।</p> <p>7—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण ।</p> <p>8—समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होनें वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें</p>
	सत्र खण्ड सिरमौर	<p>1—यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण दार्ढिक अपीलें दार्ढिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p> <p>2—थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं वे उपार्पण के पश्चात् अपर सत्र न्यायाधीश सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की जावे ।</p> <p>3—थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के जमानत आवेदन पत्र जब तक कोई अन्य आदेश न हो । जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय में सुनवायी व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे ।</p> <p>4—सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दार्ढिक अपीलें व निगरानिया ।</p> <p>5—मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा—52 के तहत उत्पन्न प्रकरण ।</p> <p>6—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील सिरमौर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही ।</p> <p>7. तहसील मुख्यालय सिरमौर के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विध रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)</p>
21 श्री संजय वर्मा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर	सिविल जिला रीवा के तहसील सेमरिया (सिरमौर)	<p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र ।</p> <p>2—रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण (सेमरिया क्षेत्र से उद्भुत) ।</p>



		<p>3— समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिरमौर द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश के, विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>4— थाना क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों/आवेदक/वादी/अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावा।</p> <p>5—पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षकर्ता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6—भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।</p> <p>7—मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>8. तहसील सिरमौर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत मध्यप्रदेश एकोमोलेशन कन्ट्रोल एकट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले।</p>
	सत्र खण्ड	<p>1— यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण दाइडिक अपीलें दाइडिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।</p> <p>2— थाना गढ़ एवं सेमरिया अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं, वे उपार्पण के पश्चात् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्याया में प्रस्तुत की जावेगी।</p>
रीवा		
22 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।
23 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2— माह जुलाई एवं अगस्त में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3— माह जुलाई एवं अगस्त में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।</p>
24 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2— माह सितम्बर एवं अक्टूबर में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3— माह सितम्बर एवं अक्टूबर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।</p>

25	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2— माह मई एवं जून में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3— माह मई एवं जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। 4— संभागीय स्तर पर वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निबटारा जो व्यवहार न्यायाधीश स्तर का हो।
26	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2— माह नवम्बर एवं दिसम्बर में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3— माह नवम्बर एवं दिसम्बर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2— माह जनवरी एवं फरवरी में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3— माह जनवरी एवं फरवरी में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/मनगढ़ा/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2— माह मार्च एवं अप्रैल में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3— माह मार्च एवं अप्रैल में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। 4— “रूपये दो सौ से अधिक एवं रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण”। (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 5— मोप्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। 6— सिविल जिला रीवा में संस्थापित लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त रहने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने बावत् सभी प्रकार विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण तथा आवेदन पत्र व उक्त न्यायालय के सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किये जाते हैं।
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा (रिक्त न्यायालय)		



30	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय)		
31	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय)		
32	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2—माह मई एवं जून में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>3—रूपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण (द्वारा 9 द्वारा अधिकृत)।</p>
33	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2. माह जुलाई में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>
34	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2. माह अगस्त में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>
35	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय)		
36	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2—माह सितम्बर में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>
37	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2—माह अक्टूबर एवं नवम्बर में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p>
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अंतिम न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कचुलियान	<p>1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>2—माह दिसम्बर एवं जनवरी में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।</p> <p>3—सिविल जिला रीवा में संस्थापित लेकिन न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त रहने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रकार विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण तथा आवेदन पत्र व उक्त न्यायालय के सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किये जाते हैं।</p>

39	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जिला रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील रीवा	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2—राजस्व तहसील रीवा की क्षेत्रिय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें अन्य ऐसी तहसील यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये जहां तक रीवा जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है। 3—उपरोक्त क्षेत्रियाकारिता के अंतर्गत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसूची 2 के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका बाद मूल्य परीक्षा हजार रुपये तक हो।
40	प्रथम व्यवठार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अंतिम न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2—माह फरवरी एवं मार्च में रुपये 1 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
41	प्रथम व्यवठार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अंतिम न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2—माह अप्रैल में रुपये 1 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
मऊगंज			
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2—रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण 3—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। 4—म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। 5—रुपये दो सौ से अधिक और रुपये 5 सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 6— समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज/हनुमना के रिक्त न्यायालय से संबंधित निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र और उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय व पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जाये।
43	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज (रिक्त न्याया)		
44	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/नईगढ़ी	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 02. माह मई से अगस्त में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार बाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3—रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।



45	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / नईगढ़ी	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 2—समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के रिक्त न्यायालय से संबंधित निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र और उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय व पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जाये । 03. माह सितम्बर से दिसम्बर में रूपये 01 से 05 लाख तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।
46	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज / नईगढ़ी	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 2— माह जनवरी से अप्रैल में रूपये 01 से 05 लाख तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।
हनुमना			
47	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 02. माह जनवरी से जून तक रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण । 3—रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
48	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 2—अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के रिक्त न्यायालय से संबंधी समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र व उक्त न्यायालय के सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्ती किये जावे । 3. माह जुलाई से दिसम्बर तक रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण ।
त्योंथर			
49	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	1—प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । 2—रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण । 3—रूपये दो सौ से अधिक और रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) 4—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र ।

54	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व' विविध प्रकरण। 2. रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3— रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत). 4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालयों से संबंधित विविध प्रकरण, आवेदन पत्र तथा उक्त न्यायालयों के ये सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जायें।
55	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय)		
56	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	राजस्व तहसील सिरमौर, बैकुण्ठपुर की क्षेत्रसीमा से उद्भूत प्रकरण (ग्राम न्यायालय सिरमौर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2— रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3— रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत).
57	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिरमौर	सिरमौर/ सेमरिया	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।

संग्रहालय

58	<p>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां जिला रीवा (श्रृंखला न्यायालय)</p>	<p>सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां एवं राजस्व सर्किल गढ़</p>	<p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2— रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3— रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।</p>
----	---	--	--

गोट-

- यह कार्य विभाजन आदेश आगामी कार्य विभाजन आदेश तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रकरणों का पंजीयन उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर किया जावेगा।
 - एट्रोसिटीज एक्ट की न्यायालय में लंबित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य के निशाकरण हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
 - नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक्स सब्सेन्स एक्ट (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के न्यायालय में लंबित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य के निशाकरण हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनों न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

4. तहसील मुख्यालय मउरगंज/त्याथर/सिरमौर स्थित अपर सत्र न्यायालयों के सत्र प्रकरण दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण के समस्त प्रकरणों को दर्ज करने के लिये पंजियां संधारित की जावे और प्रकरणों के पंजीयन के उपरांत सीआईएस से प्राप्त फाइलिंग नंबर एवं केस नंबर नियमानुसार दर्ज किया जावे। सीआईएस से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर ही पंजी में उक्त प्रकरण का नंबर होना चाहिए और वही नंबर प्रकरण के कर्मांक के रूप में उल्लेख किया जावे।
5. विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों एवं समस्त सिविल प्रकरण (अन्य आवश्यक कार्य) के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा को अधिकृत किया जाता है। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों एवं समस्त सिविल प्रकरण (अन्य आवश्यक कार्य) के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा को अधिकृत किया जाता है। उक्त दोनों न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में उक्त अधिनियम से संबंधित आवश्यक कार्य सत्र न्यायाधीश रीवा देखेंगे। साथ ही उक्त न्यायाधीशगणों के अवकाश अथवा अनुपस्थिति पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।
6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं श्रृंखला न्यायालय मनगदां का कार्य दिवस प्रत्येक माह में 15–15 दिवस का होगा।
7. यह कार्य विवरण आदेश लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।
8. समस्त न्यायाधीशगण आवंटित सिविल प्रकरणों के सुनवाई क्षेत्राधिकार के अतंर्गत सिविल देकेशन में प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।


 (सुमन सिंह)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (माझो)

// परिशिष्ट-अ //

परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नम्बर 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति/अवकाश में उनके न्यायालय के सभी आवश्यक कार्य का निराकरण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित कमानुसार न्यायाधीशगण द्वारा किया जायेगा। यदि कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित सभी न्यायाधीशगण अनुपस्थिति/अवकाश पर हैं तो उस समय मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदकम के वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कलिष्ठ खण्ड के द्वारा उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण किया जायेगा :—

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा	1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा। 2. इनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अत्यावश्यक कार्य किया जायेगा।
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा/प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	पृष्ठ कमांक 18 के नोट कमांक 02 के अनुसार
3	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	1. द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश रीवा 2. तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
4	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/अति. विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.) रीवा/विशेष न्यायाधीश म0प्र० डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम रीवा	पृष्ठ कमांक 18 के नोट कमांक 03 के अनुसार
5	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा	पृष्ठ कमांक 19 के नोट कमांक 05 के अनुसार
6	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
7	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
8	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा	पृष्ठ कमांक 19 के नोट कमांक 05 के अनुसार
9	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. अष्टम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
10	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 10 वें जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
11	09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
12	10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 12 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
13	11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
14	12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एकट रीवा	1. 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
15	13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.) रीवा	पृष्ठ कमांक 18 के नोट कमांक 03 के अनुसार
16	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर	1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर 2. 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
17	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज 2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा


मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य निरंतर एवं सुचारू रूप से जारी रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति सम्बन्धी आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जा रही है:-

प्रतिभूति आवेदन पत्र (ऐप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या के अपराधों व उनके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधियो 2012) एवं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर) पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर दर्शित सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई व निराकरण हेतु भेजे जावेंगे जो स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरूप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये वैकल्पिक व्यवस्था धारण करने वाले पीठासीन अधिकारी की ओर अन्तरित माने जावेंगे। तत्पश्चात् जमानत आवेदन का निराकरण उनके द्वारा ही किया जावेगा। सम्बन्धित दिन को तीनों पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहने पर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में प्रतिभूति आवेदन पत्र सुनवाई करेंगे।

क्र.	दिन	पीठासीन अधिकारी जिनकी ओर आवेदन अन्तरित होगा एवं निराकृत किया जावेगा	वैकल्पिक व्यवस्था	क्रमांक 3 व 4 के अवकाश अवधि में
1	2	3	4	5
1	सोमवार	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा	श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्रीमती कंचन गुप्ता 12वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा
2	मंगलवार	डॉ० श्री मुकेश मलिक, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।	श्री देवेन्द्र सिंह पाल 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री आनन्द गौतम सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
3	बुधवार	श्री विकम सिंह, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री दिलीप सिंह, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
4	गुरुवार	श्री रमेश रंजन चौध तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री दिलीप सिंह, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री देवेन्द्र सिंह पाल 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
5	शुक्रवार	श्री आनन्द गौतम सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री देवेन्द्र सिंह पाल 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री केशव सिंह 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
6	शनिवार	श्री केशव सिंह 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	श्रीमती कंचन गुप्ता 12वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा	श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

- [1] जमानत आवेदन की कार्यवाही/आवेदन प्रस्तुत संबंधित न्यायालय में ही करेंगे।
- [2] यदि जमानत आवेदन/प्रस्तुत पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर यह पाया जाता है कि पाक्सो एक्ट एवं अन्य कोई विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन लगा है तो वह आवेदन स्वतः विशेष न्यायाधीश संबंधित एक्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित माना जावेगा।
- [3] मउगंज/त्योंथर/सिरमौर न्यायालय के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के अवकाश अवधि/मुख्यालय से बाहर रहने व न्यायालय रिक्त होने पर प्रस्तुत धारा 438, 439 दं0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र, संबंधित न्यायालय के अनुपस्थिति में जो अपर सत्र न्यायाधीश कार्य देखेंगे, उनके समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

- [4] किसी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत पश्चातवर्ती आवेदन उसी पीठासीन अधिकारी की ओर स्वतः अंतरित माना जावेगा जिसने पूर्ववर्ती आवेदन निराकृत किये हो।
- [5] इसी प्रकार की व्यवस्था उसी अपराध दैनंदिनी/केस डायरी या अपराध क्रमांक से संबंधित सहअभियुक्तों के संबंध में भी रहेगी व जमानत आवेदन उसी पीठासीन अधिकारी की ओर माने जावेगे जिसने अन्य अभियुक्त/सहअभियुक्त के संबंध में आवेदन निराकृत किये हो। यदि किसी अभियुक्त का अग्रिम प्रतिभूति का आवेदन अंतर्गत धारा 438 द०प्र०सं० यदि किसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो द०प्र०सं० की धारा 439 का आवेदन भी उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया जावेगा। परन्तु जहाँ पर अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है, लंबित दार्ढिक मामलों में जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य होगा जहाँ पर मामला लंबित है।
- [6] मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारू रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दार्ढिक अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रकरण जो वाहन सुपुर्दगी के आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हों, को मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अंतरित माना जावे तथा ऐसे दार्ढिक अपीलें व पुनरीक्षण प्रकरण जिनमें स्थगन आवेदन प्रस्तुत किये हों, को मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के समक्ष स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावे।
- [7] मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23 दिसम्बर 2011 या उसके पश्चात् संस्थित व्यवहार वादों को इस कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी या उसके अधिवक्ता को वापस किए जायें। ऐसे व्यवहार वाद इस कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे विचारार्थ ग्रहण करेंगे।
- [8] मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारू रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति संबंधी प्रतिभूति आवेदन पत्र (रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या के अपराधों व उनके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० 2012) से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं महिलाओं के विरुद्ध विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या एवं अन्य अपराध) से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्रों को सुनवाई व निराकरण हेतु भेजे जावेंगे जो स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरूप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके कार्यविभाजन पत्रक अनुसार अनुपस्थित में पीठासीन अधिकारी कार्य देखेंगे।



(सुरेश कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक— १७४३/दो-१-१/२०००

रीवा, दिनांक/८/०५/२०२३

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मउंगज/त्योथर/सिरमौर/हनुमना/मनगढ़ा।
3. कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)।
4. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा (म0प्र0)।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योथर/सिरमौर/हनुमना/मनगढ़ा।
6. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/मउंगज/त्योथर/सिरमौर/हनुमना/मनगढ़ा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जू०सि०ए०/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु
प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

